

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/दन्त टैक्नीशियन/एफ-1463/2025/20


दिनांक : 31/01/25

### आदेश

एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 781/2021 दिनेश सुथार बनाम राज्य सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 14.01.2021 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/दन्त तक/एफ-1463/2023/515 दिनांक 11.08.2023 द्वारा याचिकाकर्ता श्री दिनेश सुथार को दन्त टैक्नीशियन के पद पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सलूमबर उदयपुर के अधीन याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 779/2025 दिनेश सुथार बनाम राज्य सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2025 के अनुसरण में याचिकाकर्ता को उनके द्वारा की गई वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से डेन्टल टैक्नीशियन के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल-5 नियम पारिश्रमिक (Fix Remueration) रूपये 14600/-प्रतिमाह नियमानुसार दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश उक्त याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।


  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/दन्त टैक्नीशियन/एफ-1463/2025/20

दिनांक 31/01/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त राजकीय महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. वित्तीय सलाहकार/उपविधि परामर्शी, निदेशालय, मुख्यालय।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय सलूमबर, उदयपुर को भेजकर लेख है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर अवमानना के मद्देनजर कार्मिक का वतेन आहरण कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचना से अवगत करवायें।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
5. श्री दिनेश सुथार, दन्त टैक्नीशियन को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी के।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राज. जयपुर